



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021

D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org



No. NHAI/JPR/R-S/2024/ 2704

Date 29.11.2024

INVITATION OF PUBLIC COMMENTS

Sub.:- Approval of NH-52 (Old NH-11) overhead crossing proposal for Transmission line package TW03 for Bhadla I | PS Sikar-I | 765 KV D/C (Hexa A 159 Conductor) Transmission line under scheme for Evacuation of Power from solar Energy Zones in Rajasthan (8.1 GW) under phase-II part C through tariff based competitive bidding (RBCB) route. -reg.

Ref:-

1. PSTL letter no. 317 dated 06.12.2023
2. This office letter no. 2776 dated 27.02.2024
3. PSTL letter no. nil dated 20.09.2024
4. This office letter no. 2508 dated 13.11.2024

Sir,

It is to inform all concern that Dy. General Manager powergridsikar transmission limited vide letter cited under ref(i) has submitted a proposal for the subjected work. Further, Regional office NHAI Jaipur vide letter dated 25.10.2024 has directed PIU's to put out the application of Public and Industrial Utility Services along and across National Highway in the public domain for 30-days for seeking comments.

2. As per para-4 of Ministry Circular No. RW/NH-33044/29/2015&R(R) dated 22.11.2016 "The application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest)"

3. In view of above, before approval of the Competent Authority, the comments/objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's Circular dated 22.11.2016 for Proposal for Approval of NH-52 (Old NH-11) overhead crossing proposal for Transmission line package TW03 for Bhadla I | PS Sikar-I | 765 KV D/C (Hexa A 159 Conductor) Transmission line under scheme for Evacuation of Power from solar Energy Zones in Rajasthan (8.1 GW) under phase-II part C through tariff based competitive bidding (RBCB) route. The objections/comments may be addressed to the below mentioned address up to 28.12.2024, beyond due date, no comments/objections will be accepted.

National Highways Authority of India

Project Implementation Unit-Jaipur

D-148, Behind RSEB Sub Station,

Vaishali Nagar Jaipur(Raj.)-302021

Phone: 91-141-4026465, E-mail: Jai@nhai.org

Project Director
NHAI PIU-Jaipur

Copy to:

1. Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website
3. Regional Officer, NHAI Jaipur for information please.
4. Dy. General Manager Powergrid Sikar transmission limited for information.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government Of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर/ Project Implementation Unit, Jaipur

डी-148, आर. एस.ई.बी. सब-स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर-302021

D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 4026465, ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org



क्रमांक— भाराराप्रा/जय/रींगस—सीकर/2024/2703

दिनांक 29.11.2024

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय:—राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली निकासी के लिए चरण-11 भाग सी के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (आरबीसीबी) मार्ग के माध्यम से योजना के तहत बादला 1 पीएस सीकर-1 765 केवी डी/सी (हेक्सा ए 159 कंडक्टर) ट्रांसमिशन लाइन के लिए ट्रांसमिशन लाइन पैकेज टीडब्ल्यू 03 के लिए एनएच-52(पुराना एनएच-11) ओवरहेड क्रॉसिंग प्रस्ताव को मुजूरी के संबंध में।

- संदर्भ:**— (1) पीएसटीएल पत्रांक 317 दिनांक 06.12.2023
(2) इस कार्यालय का पत्रांक—2776 दिनांक 27.02.2024
(3) पीएसटीएल पत्रांक शून्य दिनांक 20.09.2024
(4) इस कार्यालय का पत्रांक 2508 दिनांक 13.11.2024

महोदय,

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उप महाप्रबंधक पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने संदर्भ (1) के तहत उद्धृत पत्र के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय एनएचआई जयपुर ने दिनांक 25.10.2024 के पत्र के माध्यम से पीआईयू को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ सार्वजनिक और औद्योगिक उपयोगिता सेवाओं के आवेदन कि टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 30 दिन के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखने का निर्देश दिया है।

2. मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015 S&R(R) दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार “ दावों और आपत्तियों (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) के लिए आवेदन को 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।”

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व, प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/ आपत्तियाँ मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में आमंत्रित की जाती हैं, जो राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए चरण-11 भाग सी के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (आरबीसीबी) मार्ग के तहत योजना के तहत बादला 1 पीएस सीकर-1 765 केवी डी/सी (हेक्सा ए 159 कंडक्टर) ट्रांसमिशन लाइन के लिए एनएच-52 (पुराना एनएच-11) ओवरहेड क्रॉसिंग प्रस्ताव के अनुमोदन के प्रस्ताव के लिए हैं। टिप्पणियाँ/ आपत्तियों नीचे दिए गए पते पर 28.12.2024 तक भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के पश्चात कोई टिप्पणियाँ/आपत्तियों स्वीकार नहीं की जाएगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई—जयपुर
डी-148, आरएसईबी सब स्टेशन के पीछे,
वैशाली नगर जयपुर (राज.) —302021
फोन: 91-141-4026465, ईमेल:—jai@nhai.org


परियोजना निदेशक
भाराराप्रा, पीआईयू—जयपुर

प्रतिलिपि—

- वेब एडमिन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली— एनएचआई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली — मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- उप महाप्रबंधक पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।